प्रेषक,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
विनीत खण्ड–1, गोमती नगर,
लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक 309 /पर्या/एस0ई0आई0ए0ए0– सामान्य/2015 दिनांक 29 मई, 2015

विषय– उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर– सहारनपुर वाया देवबंद (एस0एच0 –59) के पर्यावरणीय क्लीरेन्स के सम्बन्ध मे। (5.910 कि0मी0 से 59.050 कि0मी0 तक)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 398/प्रावि0–18(29)/2015–16/उपशा/लखनऊ दिनांक 20.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। अपने उक्त पत्र द्वारा अपने यह अवगत कराया है कि विषयांकित मार्ग पारिस्थितिकी – संवेदनशील क्षेत्र से नही गुजर रहा है, तथा सम्पूर्ण मार्ग 1000 मी0 से कम ऊंचाई पर स्थित है, उक्त मार्ग पर टोल प्लाजा का बिल्ट एरिया 20,000 वर्गमीटर से कम है तथा किसी कामर्शियल काम्लेक्स का निर्माण नही किया जाना है।

उपरोक्त सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के अनुसार ऐसी सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं और पहाड़ी धरती में राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं (1000 मी0 एम0एस0एल0 से ऊपर) और/या पारिस्थितिकी–संवेदनशील क्षेत्र से गुजर रही हो, इन प्रस्तावों के सन्दर्भ में पूर्व–पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत मार्ग के साथ एक स्थान पर ऐसे टोल प्लाजा/कामर्शियल काम्प्लेक्स आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो, जिसका बिल्ट–अप क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर अथवा अधिक हो, तो इस हेतु भी पूर्व पर्यावरणीय क्लीरेन्स की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त के आलोक मे विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु पूर्व–पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय

(डा0 ए0ए0 खान)
नोडल, एस.ई.आई.ए.ए., उ0प्र0

परियोजना महाप्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य राज मार्ग प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर